न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), शाहजहॉपुर।
परिवाद सं0–26/2019
बाबूराम बनाम रामसरन आदि

02–08–2019:

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी की ओर से अभियुक्तगण/विपक्षीगण रामसरन, रमाकान्त व जोगेन्द्र के विरूद्ध दिये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0 प्र0 सं0 को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22–02–2019 द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के अनुसार वह जाति से धोबी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। दिनांक 15–07–2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन उसके बोये हुए खेत में उसके ही गांव के दबंग रामसरन पुत्र गजराज किसान के पोते ने अपना ट्रैक्टर व रोटावेटर मना करने के बावजूद जबरन निकाल दिया, जिसकी शिकायत उपरोक्त रामसरन से करने पर रामसरन खुद रायफल लेकर व उसके लड़के रमाकान्त व जोगेन्द्र बन्दूक व रिवालवर लेकर उसके घर के दरवाजे पर आये और गंदी–गंदी गालियां देने लगे। मना करने पर उपरोक्त तीनों लोग लाइसेंसी असलाह लेकर उसके खेत पर पहुॅचे गये, जहॉ पर वह खेत में काम कर रहा था, तीनों ने कहा साले धुबट्टे बहुत खेत वाला बनता है। रामसरन ने अपनी रायफल से उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जो भाग्यवश नहीं लगा, शेष दोनों मुलजिमान ने उसे लातघूसों से मारापीटा, जिसे उसके लड़के रमाकान्त व नन्हें लाल आदि ने देखा व बचाया। उपरोक्त सभी लोग गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने की धमकियां देकर चले गये। वह थाने गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक, शाहजहॉपुर को प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके आधार पर यह परिवाद पंजीकृत किया गया है।

परिवादी की ओर से धारा–200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 राम किशोर उर्फ नन्हें लाल व पी0डब्लू0–2 रमाकान्त को परीक्षित कराया गया।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0 प्र0 सं0 में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 15–07–2018 को लगभग 11.30 बजे दिन की बात है। रामसरन के पोते नाम नामालूम ने उसके ज्वार बोये हुए खेत से ट्रैक्टर निकाला। वह इसकी शिकायत लेकर उनके घर गया तो रामसरन ने उसे गंदी–गंदी गाली दीं, फिर वह वापस आकर खेत पर काम करने लगा। वहॉ पर रामसरन रायफल लेकर आया और कहा कि साले धूबेटा तुझे जाने से मार देंगे, गाली दी थी। उसने गाली देने से मना किया तो उन्होंने उसके ऊपर रायफल तान दी जिसे उसका पोता लेकर भाग गया। रामसरन ने उसके ऊपर फायर भी किया था जो उसे नहीं लगा। फिर वह थाने गया कोई कार्यवाही न होने पर एस0पी0 साहब को प्रार्थना पत्र दिया। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित किये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–01 राम किशोर उर्फ नन्हें लाल व पी0डब्लू0–02 रमाकान्त ने भी अपने सशपथ साक्ष्य से परिवादी द्वारा धारा–200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिये गये साक्ष्य का समर्थन किया है।

पी0डब्लू0 1 राम किशोर उर्फ नन्हें लाल ने अपने बयान में कहा है घटना दिनांक 15–07–2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन की है। उसके गॉव के रामसरन के पोते ने बाबूराम की खड़ी सफल से रोटावेटर, ट्रैक्टर निकाल दिया। बाबूरान रामसरन से शिकायत करने गये थे तो रामसरन ने गाली–गलौज किया कि साले धुबट्टे खेत वाला बनता है। फिर बाबूराम अपने खेत में काम करने चले गये। फिर रामसरन, रमाकान्त, जोगेन्द्र लाइसेंसी हथियार लेकर आये। बाबूराम के घर पर गालियां दी। फिर बाबूराम के खेत पर तीनों गये, गाली–गलौज किया, जान से मारने की नीयत से रामसरन ने बाबूराम के ऊपर फायर किया। बाबूराम को फायर नहीं लगा तो रमाकान्त व जोगेन्द्र ने बाबूराम को लातघूसों से मारा। फिर वहॉ पर वह व गॉव वाले पहुॅचे गये व बचाया। तभी ये लोग कहकर गये कि साले चमट्टे तुझे जाने से मार

देंगे। साक्षी पी0डब्लू0–02 रमाकान्त ने भी पी0डब्लू0–01 के बयानों का समर्थन किया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अपने धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्तगण द्वारा उसे जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है।

अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0 प्र0 सं0 व उसकी ओर से धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्लू0–1 व पी0 डब्लू0–2 के साक्ष्य तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस का मत है कि विपक्षीगण रामसरन, रमाकान्त व जोगेन्द्र के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण रामसरन, रमाकान्त व जोगेन्द्र उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण/अभियुक्तगण रामसरन, रमाकान्त व जोगेन्द्र को धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांकः –... –2019 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
शाहजहॉपुर।